

प्रेसनोट दिनांक 10.07.2022

1. दिनांक 09.07.2022 को वादी श्री प्रदीप कुमार श्रीवास्तव पुत्र रामकिशोर श्रीवास्तव नि० राम की पैडी नयाघाट थाना को०अयोध्या। अज्ञात चोर द्वारा सूचना दिया गया कि अज्ञात चोर द्वारा वादी का ई रिक्शा यूपी 42 सीटी 2569 चोरी कर लेना। जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 283/22 धारा 379 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
2. दिनांक 09.07.2022 को वादी का० यशपाल थाना को० अयोध्या राहुल गुप्ता पुत्र स्व० कृष्ण बिहारी गुप्ता नि० अज्ञात द्वारा सूचना दिया गया कि अभि० द्वारा ढाबा/दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 285/22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो०स० क्षति नि० अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
3. दिनांक 09.07.2022 को वादी आरक्षी अमन कुमार थाना को०अयोध्या।लालजी मिश्रा पुत्र स्व० मदन प्रसाद नि० अज्ञात द्वारा सूचना दिया गया कि अभि० द्वारा ढाबा/दुकान के सामने गाड़ी रोकवाना, अतिक्रमण करना तथा राजमार्ग क्षतिग्रस्त करना जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 286/22 धारा 283, 431 भादवि व 3 लो०स० क्षति नि० अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
4. दिनांक 09.07.2022 को वादी श्री मो० अनीस खां पुत्र मो० शरीफ खां नि० मिर्जापुर माफी थाना को०अयोध्या। फैंज आजमी पुत्र अज्ञात नि० हमीरपुर आजमगढ आदि 03 नफर द्वारा सूचना दिया गया कि अभि०गण द्वारा वादी को जानमाल की धमकी देना।जिसके संबंध में थाना को०अयोध्या में मु०अ०सं० 287/22 धारा 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
5. दिनांक 09.07.2022 को वादी उ०नि० श्री कपिल देव यादव थाना रा०ज०भू० अयोध्या शैलेन्द्र मौर्या पुत्र सूरज प्रकाश मौर्या नि० टेढ़ी बाजार थाना रा०ज०भू० अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सार्वजनिक सड़क पर दुकान लगाकर अतिक्रमण करना जिसके संबंध में थाना रा०ज०भू० में मु०अ०सं० 41/22 धारा 283, 431 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
6. दिनांक 09.07.2022 को वादी उ०नि० श्री आशीष कुमार यादव थाना रा०ज०भू० अयोध्या मो० वशीम पुत्र मो० इस्माइल नि० खटिकाना पाली थाना रा०ज०भू० अयोध्या द्वारा सूचना दिया गया कि सार्वजनिक सड़क पर दुकान लगाकर अतिक्रमण करना जिसके संबंध में थाना रा०ज०भू० में मु०अ०सं० 42/22 धारा 283, 431 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
7. दिनांक 09.07.2022 को वादी श्री छेदीलाल पुत्र रामनरेश नि० कन्दैला थाना पूराकलन्दर अयोध्या। सुनील यादव पुत्र विजय बहादुर नि० कन्दैला थाना पूराकलन्दर अयोध्या।आदि 07 नफर द्वारा सूचना दिया गया कि अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना पूराकलन्दर में मु०अ०सं० 328/22 धारा 147, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
8. दिनांक 09.07.2022 को वादी श्री रमेश सिंह पुत्र चन्द्रभान नि० पूरे कबीरपुर थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि जियालाल पुत्र अज्ञात नि० किशुनीपुर थाना गोसाईगंज अयोध्या।आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 196/22 धारा 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
9. दिनांक 09.07.2022 को वादी उ०नि० श्री अर्जुन यादव थाना गोसाईगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि शिव प्रसाद राजभर पुत्र रामप्यारे राजभर नि० हरिदासपुर गद्दोपुर थाना गोसाईगंज अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद होना। जिसके संबंध में थाना गोसाईगंज में मु०अ०सं० 197/22 धारा 60 आबकारी अधि० का अभियोग पंजीकृत किया गया।
10. दिनांक 09.07.2022 को वादी श्री विजय कुमार मौर्य पुत्र जयराम मौर्य नि० मोहम्मदपुर कस्बा थाना महाराजगंज अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि काशीराम पुत्र खदेरू नि० मोहम्मदपुर कस्बा थाना महाराजगंज अयोध्या।आदि 03 नफर अभि०गण द्वारा वादी को गाली व जानमाल की धमकी देते हुए मारना पीटना तथा घरेलू समान क्षतिग्रस्त कर देना। जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में मु०अ०सं० 260/22 धारा 323, 504, 506, 427 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
11. दिनांक 09.07.2022 को वादी श्री गजराज पुत्र रामयज्ञ नि० मुगलनिया थाना तारुन अयोध्या। द्वारा सूचना दिया गया कि माता प्रसाद पुत्र अज्ञात नि० मुगलनिया थाना तारुन अयोध्या।आदि 09 नफर अभि०गण द्वारा वादी व परिजन को गाली देते हुए मारना पीटना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 192/22 धारा 147, 323, 504 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया गया।
12. दिनांक 09.07.2022 को वादी उ०नि० श्री विरेन्द्र कुमार पाल थाना तारुन द्वारा सूचना दिया गया कि संजय निषाद पुत्र रामतेज नि० परसावा थाना तारुन अयोध्या गिर० अभि० के कब्जे से एक अदद चाकू नाजायज बरामद होना। जिसके संबंध में थाना तारुन में मु०अ०सं० 193/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।
13. दिनांक 09.07.2022 को वादी उ०नि० श्री अच्छे कुमार पटेल थाना इनायतनगर द्वारा सूचना दिया गया कि त्रिलोकी नाथ मौर्या नि० मलेथु बुजुर्ग थाना इनायतनगर अयोध्या गिर० अभि० के पास से 01 अदद देशी तमन्चा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद होना जिसके संबंध में थाना इनायतनगर में मु०अ०सं० 313/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया।